

जाति आधारित भेदभाव

प्रलिस के लयः

जातव्यवस्था, संवधान के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद, संबंधित सरकारी योजनाएँ

मेन्स के लयः

समाज और अर्थव्यवस्था में जातकी भूमिका, जातव्यवस्था की स्थिति, पहले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेंटल जाति-आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना । इसमें लगी और धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ संरक्षण एक वर्ग के रूप में जातको भी शामिल किया गया है ।

- जातविरुधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है ।

भारत में सामाजिक भेदभाव की स्थिति:

परिचय:

- जाति अपने कठोर सामाजिक नियंत्रण और नेटवर्क के माध्यम से कुछ के लिये आर्थिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करती है तो अन्य के लिये अलाभ या वंचना की व्यापक स्थितिके साथ बाधाएँ खड़ी करती है ।
- यह भूमि एवं पूंजी के स्वामित्व पैटर्न को भी आकार देती है और साथ ही राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी तक पहुँच को नियंत्रित करती है ।
- जनगणना (2011) के अनुसार, भारत में अनुमानित 20 करोड़ दलित हैं ।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े:

- वर्ष 2021 में अनुसूचित जातियों (SC) के खिलाफ अपराधों के 50,900 मामले दर्ज किये गए, वर्ष 2020 (50,291 मामलों) की तुलना में इसमें 1.2% की वृद्धि हुई ।
- अपराध की दर विशेष रूप से मध्य प्रदेश (113.4 लाख की अनुसूचित जातकी आबादी में 63.6 प्रति लाख) और राजस्थान (112.2 लाख की अनुसूचित जातकी आबादी में 61.6 प्रति लाख) में उच्च थी ।

ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया डिसक्रिमिनेशन रिविस्ट:

- शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में कमी: यह कमी शिक्षा एवं सहायक सरकारी नीतियों के कारण देखी गई है ।
- आय में अंतर: वर्ष 2019-20 में गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के स्व-नियोजित श्रमिकों की औसत आय 15,878 रुपए, जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के लोगों की औसत आय 10,533 रुपए थी ।
 - स्व-नियोजित गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के अपने समकक्षों की तुलना में एक-तहाई अधिक कमाते हैं ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव में वृद्धि: ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को आकस्मिक रोजगार में भेदभाव में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है ।

भारत में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपाय:

संवैधानिक प्रावधान:

कानून के समक्ष समानता:

- अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा ।
- यह अधिकार सभी व्यक्तियों चाहे वे भारतीय नागरिक हों या विदेशी नागरिक या किसी अन्य प्रकार का कानूनी नगिमों जैसे,

सांविधिक नगिम, कंपनरिाँ, पंजीकृत समतरिाँ आदरिाँ को दरिया गरा है ।

- **भेदभार का नरिधः**
 - भारत के संवरिधान में **अनुच्छेद 15** में कहा गरा है कररिाज्य करिी भी नारगरकि के खलरिाफ केवल धर्रम, नस्ल, जातरिा, लरिग, जनम स्थान या इनमें से करिी के आधार पर भेदभार नहीं करेगा ।
- **अवसर की समानतराः**
 - भारत के संवरिधान में **अनुच्छेद 16** में कहा गरा है कररिाज्य के तहत रोज़गार के मामलों में सभी नारगरकिाँ के लरिग अवसर की समानतरा होगी । कोई भी नारगरकि केवल धर्रम, मूलवंश, जातरिा, लरिग, वंश, जनम स्थान या इनमें से करिी भी आधार पर रारज्य के अधीन करिी पद के लरिग अपातर नहीं होगा ।
- **असपृश्यतरा का उन्मूलनः**
 - संवरिधान का **अनुच्छेद 17** असपृश्यतरा को समाप्त करतरा है ।
- **शैक्षणकि और सामाजकि-आर्रथकि हतरिाँ को बढावा देनाः**
 - **अनुच्छेद 46** के तहत रारज्य द्वारा 'कमज़ोर वर्ग के लोगों और वरिशेष रूप से अनुसूचतरिा जातरिाँ तथा अनुसूचतरिा जनजातरिाँ के शैक्षणकि एवं आर्रथकि हतरिाँ को बढावा देने और उन्हें सामाजकि अन्याय व अन्य सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लरिग प्रावधान का उल्लेख है ।
- **अनुसूचतरिा जातरिाँ के दावेः**
 - **अनुच्छेद 335** में प्रावधान है करिा संघ या रारज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नरिुक्तरिाँ करते समय, प्राशासन की दकषतरा बनाए रखने के साथ अनुसूचतरिा जातरिाँ एवं अनुसूचतरिा जनजातरिाँ के सदस्यों के दावों को लगातरा ध्यान में रखा जाएगा ।
- **वरिधानमंडल में आरकषणः**
 - **संवरिधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332** में करमशः लोकसभा और रारज्यों की वरिधानसभाओं में अनुसूचतरिा जातरिाँ तथा अनुसूचतरिा जनजातरिाँ के पकष में सीटों के आरकषण का प्रावधान है ।
- **स्थानीय नकरिाँ में आरकषणः**
 - **पंचायतों से संबंधतरिा भाग IX और नगर पालकरिाओं से संबंधतरिा संवरिधान के भाग IXA** के तहत स्थानीय नकरिाँ में अनुसूचतरिा जातरिाँ एवं अनुसूचतरिा जनजातरिाँ के लरिग आरकषण की परकरिल्पना तथा प्रावधान करिा गरा है ।

संबंधतरिा सरकारी पहलेंः

■ भूमरिा सुधारः

- भूमरिा के समान वतरिाकरण और वंचतरिाँ के उत्थान हेतु **भूमरिा सुधार** के प्रायास करिे गए । स्वतंत्र भारत के भूमरिा सुधार के चार घटक थेः
 - बचौलरिाँ का उन्मूलन
 - कररिायेदारी में सुधार
 - भू-धारतरिा सीलरिग का नरिाधारण कररना (Fixing Ceilings on Landholdings)
 - ज़मींदारी का समेकन ।

■ संवरिधान (अनुसूचतरिा जातरिाँ) आदेश 1950ः

- इसने हदू दलतरिाँ के साथ-साथ सखि धर्रम और बौद्ध धर्रम को अपनाने वाले दलतरिाँ को अनुसूचतरिा जातरिाँ के रूप में वर्गीकृत करिा ।
- सरवोचच न्यायालय अब **दलतरिा ईसाइयों और दलतरिा मुसलमानों को अनुसूचतरिा जातरिाँ के रूप में शामिल** करने की मांग करने वाली याचकरिाओं पर सुनवाई कर रहा है ।

■ प्रधानमंत्ररिा कौशल वकरिास योजनार (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana- PMKVY):

- यह उत्तपादकतरा बढाने और देश की आवश्यकतराओं के अनुरूप प्राशकरिाषण एवं प्रामाणन को संरेखतरिा करने के उद्देश्य से युवाओं को कौशल प्राशकरिाषण के लरिग प्राेरतरिा करने पर लकषतरिा है ।

■ संकल्प योजनार:

- आजीवकरिा संवरद्धन के लरिग कौशल अधगररिाहण और ज्ञान जागरूकतरा या 'संकल्प' (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion- SANKALP) कौशल वकरिास और उदयमतरिा मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship- MSDE) का एक प्राणाम-उन्मुख करर्यकरम है जहाँ वकरिांदरीकृत योजनार-नरिामाण एवं गुणवत्तरा सुधार पर वरिशेष बल दरिा गरा है ।

■ 'सर्टैडअप इंडररिा' योजनार:

- इसे अपरैल 2016 में आर्रथकि सशकृतीकरण और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रतरिा रखते हुए ज़मीनी स्तर पर उदयमतरिा को बढावा देने के लरिग लॉन्च करिा गरा ।
- इसका उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की पहुँच अनुसूचतरिा जातरिाँ, अनुसूचतरिा जनजातरिाँ और महिला उदयमरिाँ जैसे सेवा-वंचतरिा समूहों तक सुनरिाचतरिा कररना है ताकरिा वे इसका लाभ उठा सकें ।

■ प्रधानमंत्ररिा मुद्रार योजनार:

- यह बैंकों, गैर-बैंकरिग वतरिातीय कंपनरिाँ (Non-Banking Financial Companies- NBFCs) और सूकषम वतरिात संस्थानों (Micro Finance Institutions- MFIs) जैसे वरिाभनरिा वतरिातीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉरपोरेट लघु व्यवसाय कषेतरा को वतरिातपोषण प्रादान करती है ।
- इसके तहत समाज के वंचतरिा वर्गों, जैसे- महिला उदयमरिाँ, एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय की लोगों आदरिाँ को ऋण दरिा गरा है । योजनार ने नए उदयमरिाँ का भी वरिशेष ध्यान रखा है ।

आगे की राह

- भेदभाव के खिलाफ दलितों और आदवासियों जैसे हाशिये के समुदायों की रक्षा हेतु कानूनों तथा नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन करना।
- जातगत भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के हानिकारक प्रभावों को उजागर करने हेतु लोगों के बीच विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना।
- भूमि के अधिक समान वितरण हेतु दूसरी पीढ़ी के भूमिसुधारों के साथ-साथ स्टैंडअप इंडिया, PMKVY और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सीमांत समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण करना।
- जातगत भेदभाव को दूर करने हेतु नागरिक समाज संगठनों, सरकारी एजेंसियों और वंचित समुदायों के बीच सहयोग एवं संवाद को बढ़ावा देना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. 'स्टैंडअप इंडिया स्कीम' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इसका प्रयोजन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है।
2. यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

- स्टैंडअप इंडिया स्कीम की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही है।
- इस योजना से बड़ी संख्या में उद्यमियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रत्येक श्रेणी के उद्यमियों के लिये औसतन प्रति बैंक शाखा (अनुसूचित वाणज्यिक बैंक) में कम-से-कम दो ऐसी परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करना है।
- यह SIDBI के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ पुनर्वित्त का प्रावधान करती है। अतः कथन 2 सही है।

??????????:

प्रश्न. बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जातकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित वस्तुतः उत्तर दीजिये। (2020)

प्रश्न. "जातव्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जातव्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये। (2018)

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिक पहलें क्या हैं? (2017)

प्रश्न. अपसारी उपागमों और रणनीतियों के बावजूद महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिये। (2015)

प्रश्न. इस मुद्दे पर चर्चा कीजिये कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान (एसर्शन) के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दशा में काम करते हैं। (2015)

स्रोत: द हिंदू